2019/00219

जोशी स्टेशनर्स, मांडलगढ़ 230289
ता. पेकी स्टेट

28-8-2019
26/9/19 जवाब
26.12.19
प्रतिवादी 8.2
23.1.20
5.2.20
4.1.21
26/8/2021

जनरल रूल [redacted] स फार्म नम्बर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा 1	नम्बर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	फैसला कमाल 5
धारा 88-188	52/2019	13/08/2019 23/2/23 24/3/23 26/4/23 31/5/23 15/6/23 22/6/23 अवकाश 28/6/23	Advt 4/1/23 18/12/23 21/12/23 7/1/23	तनकी में add करे — 20/1/2022 — 7/4/22 साक्ष्य वादी — 28/4/22 5/5/22 16/6/22 21.9.22 19.10.22 03.11.22 24.11.22 12.1.23

श्री नन्दराम पिता देवा धाकड़ v/s श्री वर्धमान पिता छगनलाल जैन वगैरह

निवासी विक्रमपुर निवासी बिजौलिया

विवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्ट

डिक्रीदार रेस्पाडेन्ट / मद्यूनाय

श्री रामचन्द्र धाकड़ श्री गिरधारी लाल आचार्य

...RM NO. III

Crim-5

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

नन्दराम बनाम वर्धमान

मुकदमा 88-188 नं. 52/19 वर्ष

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/08/19	वादपत्र बाद जाँच पेश हुआ। वकीलवादी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलबी जरिये सम्मन मय नकल के भेजा जावे। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 28/8/19 को पेश हो।	
28/8/19	पत्रावली पेश हुई। वकीलवादी उप./ प्रतिवादी सं. 1, 5, 6, 7 के सम्मन बाद तामील प्राप्त जो शामिल पत्रावली हो। प्रतिवादी सं. 1, 2, 3, 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल आचार्य एवं नितिन सारस्वत ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया है। प्रतिवादी सं. 5 को आवाज लगाई गयी गैर हाजिर, एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 26.9.19 को पेश हो।	
26/9/19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 24.10.19 को वास्ते जवाब पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
24.10.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. महोदय अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 21.11.19 को वास्ते जवाब पेश हो। रूप सिग्नेचर अधिकारी
21.11.19	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. महोदय अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 26.12.19 को वास्ते जवाब पेश हो। रूप सिग्नेचर अधिकारी
26.12.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष पक्ष उपस्थित जवाब हेतु समय चाहते हैं। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8.1.2020 को पेश हो। पुनश्च! वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते ~~जवाब~~ की जवाब प्रा.प. दि. 8.1.20 को पेश हो।
8.1.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23.1.20 को वास्ते जवाब पेश हो। रूप सिग्नेचर अधिकारी
23.1.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. प्रार्थना पत्र 7/11 वास्ते जवाब देने हेतु समय चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते 7/11 जवाब प्रा.प. दि. 5.2.20 को पेश हो।
5.2.20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. प्रार्थना पत्र 6/17 दोनों की सहमती से स्वीकार किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते संशोधित वादपत्र दि. 13.2.20 को पेश हो।

06 when [illegible] order.

पत्रावली पे... वकील वादी... 11 शा... वा...

[illegible]/20

	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। वकीलवादी ने संशोधित वादपत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 5.3.20 को पेश हो।	
5/3/20	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 26.3.20 को पेश हो।	
26/3/20	पत्रावली पेश हुई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के सर्कुलर दि. 18.3.20 की पालना में कार्य स्थगित रखा गया। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 22.4.20 को पेश हो।	
22/4/20	कोरोना ... के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने ... राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त ... लॉकडाउन ... में न्यायिक कार्य स्थगित ... पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 3.6.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
3/6/20	कोरोना ... के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने ... अजमेर से प्राप्त निर्देश ... लॉकडाउन अवधि में न्यायिक कार्य स्थगित रखे ... कारण पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18.6.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
18/6/20	कोरोना ... के संक्रमण के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ... राजस्व मण्डल, अजमेर से प्राप्त निर्देश ... में न्यायिक कार्य स्थगित ... वास्ते जवाब दिनांक 15.7.20 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
15/7/20	कोरोना ... के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन होने ... अजमेर से प्राप्त ... न्यायिक कार्य स्थगित ... जवाब 6.8.20 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	
6/8/20	... के कारण राष्ट्रव्यापी लॉक... जवाब 27.8.20 उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ	

हुक्म

27/8	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक ... उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है ... दिनांक 17.9.20 को वास्ते जवाब पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
17/9/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते जवाब दि. 8.10.20 को पेश हो।
8/10/20	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते तनकी दि. 5.11.20 को पेश है।
5/11/20	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी चुनाव के व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 3.12.20 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
3/12/20	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी चुनाव के व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 31.12.20 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
31/12/20	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तनकी दि. 28.1.21 को पेश है।
28/1/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभावक वादी / प्रतिवादी चुनाव के व्यस्त उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 18.2.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
18/2/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तनकी दि. 25.2.21 को पेश हो।
25/2/21	पत्रावली पेश हुइ। ... उपस्थित ... P.O. सा. दौरे पर है। ... दिनांक 18.3.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी

91061210 0958065091 ...

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बिजौलिया

नन्दराम बनाम वर्धमान

किस्म मुकदमा 88-188 नं. 52/19 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/3/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] पर हैं। पत्रावली दिनांक 15.4.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
15/4/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान एस.डी.ओ. सा. दौरे पर~~ कोरोना काल हैं। पत्रावली दिनांक 20.5.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
20/5/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान एस.डी.ओ. सा. दौरे पर~~ हैं। [illegible] अवकाश पत्रावली दिनांक 1.7.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
1/7/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान एस.डी.ओ. सा. दौरे पर~~ कोरोना काल हैं। पत्रावली दिनांक 5.8.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
5/8/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित ~~श्रीमान एस.डी.ओ. सा. दौरे पर~~ कोरोना काल हैं। पत्रावली दिनांक 17.8.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी	
17/8/21	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते तनकी दिनांक 26.8.21 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
26/8/21	पत्रावली पेश हुइ। अभिभापक वादी [illegible] दी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर [illegible] दिनांक 14.10.21 को वास्ते तनकी पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
22/11/21	प्रत्रावली प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021 [illegible] हुई पक्षकार वादी/प्रतिवादी, हाजिर/गैर हाजिर पक्षकारों में सहमति नही बनने से राजीनामा नहीं हो सका। पत्रावली दि. 23.12.21 को वास्ते तनकी पेश हो। (उपखण्ड अधिकारी) बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)
23/12/21	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप. वकील वादी ने क्रोस क्लेम का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली वास्ते तनकी 20.01.22 को पेश हो।
20.1.22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर है। प्रत्रावली दिनांक 24.3.22 को वास्ते पेश हो। उप खण्ड अधिकारी
24.3.22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में तनकी पर्चा कायम किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 7.4.22 को पेश हो।
7.4.22	पत्रावली पेश हुई पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 28.4.22 को पेश हो।
28.4.22	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। आगामी पेशी दिनांक 5.5.22 को साक्ष्य वादी आवश्यक रूप से पेश करे।

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तार[illegible] अहकाम जो [illegible] हुक्म की ताम[illegible] में जारी हुए
05 / 2022	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। साक्ष्य वादी मे वादी PW-1 नन्दराम, PW-2 भगवानलाल, PW-3 सूरजमल के बयान लिए गए जो शामिल पत्रावली किए गए। साक्ष्य वादी मे अवशेष पेश नही करना चाहते। साक्ष्य वादी बन्द की गयी। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी हेतु दिनांक 16.06.2022 को पेश हो। [signature]	
6 / 22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर है। प्रात्रावली दिनांक 13.7.22 को वास्ते सा.प्र. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
13 7 / 22	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी / प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 17/8/22 को वास्ते सा.प्र. पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
17 8 / 22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। साक्ष्य प्रतिवादी में अवसर चाहते हैं जो अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 21.9.22 को पेश हो। [signature]	
21.9.22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उप.। साक्ष्य प्रतिवादी मे अंतिम अवसर चाहते हैं जो अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते सा. प्रतिवादी दि. 19.10.22 पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
10/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 03.11.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप.। साक्ष्य हेतु अवसर चाहते हैं जो अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दि. 24.11.22 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
24 11/22	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक उभयपक्ष उप.। साक्ष्य प्रतिवादी में DW-1 वर्धमान जैन के बयान लिये गये जो शामिल मिसल है। वकील प्रतिवादी और साक्ष्य नहीं करवाना चाहते है अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद की जाती है। पत्रावली वास्ते बहस दि. 5.1.2023 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
5 1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 12.1.23 को वास्ते बहस पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी
12 1/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभापक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान् P.O. सा. दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 23.2.23 को वास्ते बहस पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी
23 2/23	पत्रावली पेंश हुई। अभिभाषक ... उपस्थित श्रीमान P.O.सा दौरे पर है। ... दिनांक 22/3/23 को वास्ते बहस पेश हो। govind उप खण्ड अधिकारी

...लत

...म मुकदमा

तारीख हुक्म

4/1

FORM

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत ________ मुकाम बिजौलिया

नन्दराम बनाम वर्तमान

किस्म मुकदमा 88-188 नं. 52/2019 वर्ष

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 26/4/23 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
26/4/23	पत्रावली पेश हुइ। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रात्रावली दिनांक 31/5/23 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी	
31/5/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 15/6/23 को पेश हो। [signature]	
15/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 22/6/23 को पेश हो। [signature]	
22/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/6/23 को पेश हो। [signature]	
28/6/23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/12/23 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14/12/23	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O एस. दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 21/12/23 को वास्ते बहस पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी
21/12/23	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते निर्णय/बहस 04/02/24 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा
04/01/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। एवं विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] 4/1/24 उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा, (राज0)

पीठासीन अधिकारी – सीमा तिवाड़ी (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या 52/2019 **दायर तारीख 13.08.2019**

अनवान

नन्दरामपिता देवा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी विक्रमपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

..................वादी

बनाम

01.वर्धमान पिता छगनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

02.ललिता बाई पुत्री छगनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

03.मनोरमा बाई पुत्री छगनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

04.नीलम उर्फ नीलू पुत्री छगनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

05.प्रेम बाई पत्नि छगनलाल जाति जैन उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

06.मैं बाहुबली स्टोन रूम नम्बर 1 ललिता देवी पदमकुमार जैन, इन्द्रा कॉलोनी बिजौलियां कलां जरिये पार्टनर श्री वर्धमान जैन आत्मज श्री छगनलाल जैन निवासी डपोले के अन्दर, बिजौलियां कला तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

07.भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– 1. श्रीजगदीशचन्द्र धाकड – अधिवक्ता वादी
2. श्रीगिरधारीलाल आचार्य – अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :–

दिनांक 04/01/2024

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादी द्वारा उक्त वादपत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 103 रकबा 9 बिस्वां, आराजी नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वां, आराजी नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वां भूमि का पूर्व खातेदार कजोड़ पिता जालम गुर्जर के नाम पर खातेदार हक से दर्ज रेकॉर्ड थी। जिससे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के पिता व प्रतिवादी संख्या 5 के पति श्री छगन लाल पिता केशरीमल जैन ने संयुक्त रूप से यानि आधा आधा हिस्सा शामलाती में खरीदा। जिसका दाखिला जमाबन्दी सम्वत 2041 से 2044 में नामान्तरकरण संख्या 70 दिनांक 02.10.1984 से वादी के नाम एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्व के पूर्वज छगनलाल जैन के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी। क्रय दिनांक से ही वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज छगनलाल दोनो वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज हो अपने अपने 1/2 – 1/2 हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग एवं काश्त करते आ रहे है। वादी भी अपने 1/2 हिस्से पर क्रय दिनांक से आज तक बिना किसी बाधा के अपने हिस्से पर काबिज हो काश्त करता आ रहा हैं।

प्रतिवादी नम्बर 7 के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा राजस्व रेकॉर्ड संधारित कर उसको निरन्तर मेनटेन किया जाता है वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि क्रय करने के पश्चात् प्रतिवादी नम्बर 7 के अधिनस्थ कर्मचारियो द्वारा अगला जमाबन्दी रोटेशन जमाबन्दी सम्वत् 2045 से 2048 तैयार किया उसके पश्चात जमाबन्दी का अगला रोटेशन सम्वत 2049 से 2052 तैयार किया गया उसमें बिना वादी की जानकारी में

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाडा

आये प्रतिवादी नम्बर 7 के अधिनस्थ कर्मचारियों ने वादी का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के जमाबन्दी सम्वत् 2049 से 2052 से हटा दिया गया जो विधि विरूद्ध एवं शून्य प्रभावी होकर दुरूस्थ किये जाने योग्य हैं। उक्त जमाबन्दी तैयार करते समय सेवन से हुई त्रुटि को दुरूस्थ किया जाना विधि एवं न्याय संगत हैं।

वादी ने अनुतोष चाहा कि इस आशय की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें कि ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 103 रकबा 9 बिस्वां, आराजी नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वां, आराजी नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वां भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार वादी है व वादी का नाम राजस्व रेकॉर्ड में उक्त हिस्से अनुसार दर्ज रेकॉर्ड किया जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावें।

इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें की वादग्रस्त आराजीयात में वादी के 1/2 हिस्से में विक्रय हस्तान्तरण नही करे, वादी को बेदखल नही करे, वादी के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काश्त में दखलनदाखी नही करे एवं न ही किसी अन्य से करावे नही क्वारीलाइसेन्स जारी करावें। जबरन कब्जा नही करें, यदि दौराने दावा वादी को जबरन बेदखल कर दे एवं प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर लेवें तो कब्जा पुनः वादी का दिलया जावें

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गयी।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण क्रमांक 1 से 4 व 6 की ओर से प्रतितोर पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

प्रतिवाद पत्र के **विशेष कथन** में अंकित किया कि वादी का वाद अवधि पार है प्रतिवादीगण व उससे पूर्व क्रेता छगनलाल पुत्र केसरीमल जैन वादगस्त जायदाद पर गत 35 वर्षो से वादी की जानकारी में काबिज है। उनका कब्जा निर्बाध, शान्ति पूर्वक शत्रता पूर्ण वादी की जानकारी में है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी व कब्जा प्राप्त है।

वादी ने जो वाद लाने की काल्पनिक बिनायदावे की दिनांक बतायी है वह किसी भी दस्तावेज पर आधारित नही है। इस प्रकार की बिनायदावा आधारित वाद पोषनीय नही हैं।

इस न्यायालय को वाद तथ्यो के अनुसार वाद सुनने का अधिकार नही है क्योकि इस न्यायालय को रात्रि0टि0एक्ट के तहत जमाबन्दी की त्रुटिया ठीक करने का अधिकार नही हैं। न ही कोई खातेदार जब अपने को खातेदार राजस्व रेकॉर्ड के अनुसार बताता है तो वह दो बार घोषणा का वाद नही ला सकता है। सक्षम न्यायालय ने राजस्व रेकॉर्ड की दुरूस्ती करने हेतु निवेदन करना चाहिये।

क्रोस क्लेम में अंकित किया कि प्रतिवादीगण वादी की जानकारी अनुसार गत 35 वर्षो से वादग्रस्त जायदाद पर शान्ति पूर्वक निर्बाध एवं शत्रता पूर्ण रूप से काबिज है तो उन्हे वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी प्राप्त हो गयी है इसलिए यदि वादी की खातेदारी में भूमि रही भी है तो प्रतिवादीगण को कुलिया भूमि का खातेदार काश्तकार किया जाना विधि सम्मत हैं। दिनांक 13.02.2020 को वादी ने वाद पेश किया व अपने को खातेदार बताया तब प्रतिवादीगण को इसकी जानकारी न्यायालय का समन दिनांक 28.08.2019 मिलने से होने से बिनाय क्रोस क्लेम उत्पन्न हुआ है जो जारी हैं। वादी का वादपत्र खारीज फरमाया जावे व प्रतिवादीगण का क्रोस क्लेम डिक्री फरमाया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादी नं0 2 के द्वारा अपने राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर वाद लाने का हेतु उत्पन्न होने का विवरण वादपत्र की चरण संख्या 2 में दिया हैं।

वादपत्र में प्रतिवादी नं. 2 ललीताबाई पुत्र छगनलाल जैन हैं जो न तो राजस्व रेकॉर्ड को पोषित करती हैं एवं न ही उसके द्वारा किसी रेकॉर्ड में हेराफेरी कर किसी रोटेशन जमाबन्दी में किसी खातेदार का नाम हटाने व जोड़ने का कृत्य किया है। कोई भी वाद तब न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है जब वादी के पास उचित प्रतिवादी के विरूद्ध वादकारण उत्पन्न होने का विवरण वादपत्र में दिया गया हो। जब प्रतिवादीया न0 2 ने कोई ऐसा कृत्य ही नही किया इसके कारण वादी को Causenof Action उत्पन्न हुआ हो तो वादपत्र चलने योग्य नही हैं। निवेदन है कि Causenof Action के उचित प्रतिवादी के विवरण के अभाव में खारीज फरमाया जावें।

लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत क्रोस क्लेम का वादी की ओर निम्न जवाब क्रोस क्लेम पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

वादी ने जवाब में अंकित किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत क्रोस क्लेम की कलम संख्या 14 गलत व मनगढन्त होकर अस्वीकार हैं। यह कहना गलत होकर अस्वीकार है कि प्रतिवादीगण वादी की जानकारी अनुसार गत 35 वर्षो से वादग्रस्त जायदाद पर शान्ति पूर्वक काबिज है। बल्कि वादग्रस्त जायदाद पर क्रय दिनांक से वादी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज हो निरन्तर काश्त करता आ रहा है।

वादी ने अपना हिस्सा किसी भी अन्य व्यक्ति को विक्रय रहन नही किया है। मात्र राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटि के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हो सकते है। न ही राजस्व रेकॉर्ड की त्रुटि के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना विधि सम्मत हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत क्रोस क्लेम की कलम संख्या 15 गलत होकर अस्वीकार हैं। वादी ने वादपत्र दिनांक 29.07.2019 को पेश किया है। दिनांक 13.02.2020 को संशोधित वादपत्र पेश किया हैं प्रतिवादीगण को समन दिनांक 28.08.2019 को प्राप्त हो गया और क्रोस क्लेम दिनांक 08.10.2020 को जो करीब 14 माह बाद प्रस्तुत किया जो अवधि पार होकर खारीज योग्य हैं। प्रतिवादीगण का क्रोस क्लेम सव्यय खारीज फरमाया जावें।

वाद पत्र व प्रतिवाद पत्र के तथ्यो के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई ।

तनकी नं0 1 – आया वादग्रस्त आराजी नम्बर 103, 108, 111 कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वां भूमि में वादी 1/2 हिस्से का खातेदार था। जिसका जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2052 में जमाबन्दी तैयार करते समय सेवन से वादी का नाम बिना कारण हटा दिया गया। उक्त सेवन से त्रुटि हो दुरूस्त किया जाकर वादी का नाम पुनः राजस्व रेकॉर्ड वर्तमान जमाबन्दी में 1/2 हिस्सेनुसार दर्ज रेकॉर्ड किये जाने योग्य हैं ?

.........जिम्मे वादी

तनकी नं0 2– आया वादी अपने आराजीयात का 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार होने से विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

...........जिम्मेवादी

तनकी नं0 3 – आया वादी अपने 1/2 हिस्से पर काबिज हो निरन्तर काश्त कर रहा है। वादी ने अपना हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय, रहन नही किया है मात्र रेकॉर्ड में सेवन से हुई त्रुटि के आधार पर प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही किया जा सकता है प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम खारीज योग्य हैं ?

...........जिम्मेवादी

तनकी नं0 4–आया प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अवधि पार होकर खारीज योग्य हैं ?

...........जिम्मे वादीगण

तनकी नं0 5–आया वादग्रस्त आराजीयात दो भागो में विभाजित हो चुकी है। पंजीकृत विक्रय पत्र हो चुका है विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय द्वारा खारीज नही किया जाता तब तक वादी 1/2 हिस्से की खातेदारी व घोषणा का वाद नही ला सकता है ?

.........जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 6–आया प्रतिवादीगण 35 वर्षो से वादग्रस्त जायदाद पर शान्तिपूर्वक निर्बाध रूप से काबिज है उन्हे वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी प्राप्त हो गयी है इसलिए यदि प्रतिवादी की खातेदारी में भूमि रही है तो प्रतिवादीगण को कुलिया भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं ?

.........जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 7–आया अनुतोष क्या होगा ?

वादीगण ने वादपत्र के साथ दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम विक्रमपुरा संवत् 2073 से 2076 पेश की जो प्रदर्श – 1 हैं, नामान्तरकरण संख्या 70 ग्राम विक्रमपुरा पेश की जो प्रदर्श – 2 हैं,नकल जमाबन्दी ग्राम विक्रमपुरा संवत् 2041 से 2044 पेश की जो प्रदर्श – 3 हैं,नकल जमाबन्दी ग्राम विक्रमपुरा संवत् 2045 से 2048 पेश की जो प्रदर्श – 4 हैं,नकल जमाबन्दी ग्राम विक्रमपुरा संवत् 2049 से 2052 पेश की जो प्रदर्श – 5 हैं प्रस्तुत की है।

लगातार पेज संख्या 04 पर

उपखण्ड अधिकारी

अधिवक्ता वादी ने शहादत वादी मे PW-1 नन्दराम पिता देवा धाकड़, PW-2 भगवानलाल पिता चुन्नीलाल धाकड़, PW-3 सुरजमल पिता देवीलाल धाकड़ के बयान कराये गये। शामिल पत्रावली किया गया।

वादीगण द्वारा अन्य कोई मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने शहादत प्रतिवादी में प्रतिवादी DW-1 वर्धमान पिता छगनलाल जैन निवासी बिजौलियांके बयान कराये गये। जो शामिल पत्रावली हैं।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को विस्तार से विवेचन किया तथा ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा स्थित आराजी नम्बर 103 रकबा 9 बिस्वां, आराजी नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वां, आराजी नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 6

बिस्वां भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकॉर्ड किया जाना चाहा गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने वादी का वाद अवधि पार होना बताया, प्रतिवादीगण व उससे पूर्व क्रेता छगनलाल पुत्र केसरीमल जैन वादगस्त जायदाद पर गत 35 वर्षो से वादी की जानकारी में काबिज है। उनका कब्जा निर्बाध, शान्ति पूर्वक शत्रता पूर्ण वादी की जानकारी में है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त जायदाद की खातेदारी व कब्जा प्राप्त है। वादी ने जो वाद लाने की काल्पनिक बिनायदावे की दिनांक बतायी है वह किसी भी दस्तावेज पर आधारित नही है। इस प्रकार की बिनायदावा आधारित वाद पोषनीय नही हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी/प्रतिवादी की बहस पर मनन किया।

प्रस्तुत वादपत्र वादी अर्न्तगत धारा **88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम विक्रमपुरा पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियां की सरहद में स्थित आराजी नम्बर 103 रकबा 9 बिस्वां, आराजी नम्बर 108 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वां, आराजी नम्बर 111 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वां कुल किता 3 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वां भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण दखलनदाजी नही करें। न अन्य किसी से करायेगें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 04/01/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा